कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,बहराइच।

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के के पत्रांक 6221/Admin'G-I'/2019 , Allahabad दिनांकित 14/05/2019 व उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 102/सात–न्याय–272015–728/86 दिनांकित– 18 जून 2015 के अनुपालन के क्रम मे उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियमावली,1995 के नियम 26(1) के अन्तर्गत परिवार न्यायालय बहराइच मे परामर्शदाता की आबद्धता के संबंध मे निम्नलिखित प्रकिया के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:–

1– आवेदक जनपद बहराइच से संबन्धित हो। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नही मिलता है, तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप मे नियुक्त करने में कोई बाधा नही है।

2– अर्ह व्यक्ति समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय मे स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। जो व्यक्ति समाजिक कार्य मे मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक काउंसलिंग मे जिन्हे दो वर्ष का अनुभव है, उन्हे वरीयता दी जायेगी।

3– आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 05.06.2019 को परामर्शदाता की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिये।

4– आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा इसकी स्क्रूटनी की जायेगी और यथा सम्भव उक्त पद के सापेक्ष 05 लोगों की सूची तैयार की जायेगी।

5– राज्य सरकार के अर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय, परिवार एवं बाल विकास से सम्बन्धित योग्य विशेष से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।

6– परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुती के आधर पर अधिसूचना जारी करेगी।

7– परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ मे तीन वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर तीन वर्ष के लिये उनके नाम पर पुर्नविचार किया जा सकता है।

8– परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा मे नियुक्ति नही मानी जायेगी पर वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगें।

आवेदन पत्र का प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के कार्यालय से अथवा जनपद न्यायालय बहराइच के आधिकारिक बेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/bahraich एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत परामर्शदाता के पद पर आबद्धता हेतु इच्छुक आवेदक अपने स्वप्रमाणित आवेदन पत्र फोटो सहित दिनांक 05.06.2019 तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मे अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।

(उपेन्द्र कुमार)
अध्यक्ष/ जनपद न्यायाधीश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बहराइच।

पत्रांक 161 /जि0वि0से0प्रा0--काउंसलर--2019 दिनांक मई,2019

प्रतिलिपि– जिला सूचना अधिकारी को उंक्त का निःशुल्क प्रकाशन अपने स्तर से समस्त समाचार पत्रो मे प्रकाशित कराये जाने हेतु।

प्रतिलिपि– दिवानी न्यायालय सूचना पट्ट, कलेक्ट्रेट सूचना पट्ट, ए0डी0आर0 भवन के सूचना पट्ट पर चस्पा किये जाने हेतु।

प्रतिलिपि– सिस्टम अधिकारी, जनपद न्यायालय बहराइच को इस आशय से प्रेषित कि जनपद न्यायालय व माननीय जिला न्यायालय बहराइच की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

(उपेन्द्र कुमार)
अध्यक्ष/ जनपद न्यायाधीश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बहराइच।

परिवार न्यायालय,बहराइच मे परामर्शदाता पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध मे आवेदन पत्र का प्रारूप व शर्तें

1 नाम आवेदक (हिन्दी में)..

आवेदक की नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज स्वः प्रमाणित फोटो

2 नाम आवेदक (अंग्रेजी के बडे अक्षरो मे)..

....

3 पिता/पति का नाम..

4 जन्मतिथि (हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

5 आवेदक का पूरा स्थाई पूरा पता(पिन कोड सहित)..

....

6 आवेदक का पूरा वर्तमान पूरा पता(पिन कोड सहित)..

....

7 मतदाता पहचान पत्र अथवा आधर कार्ड नम्बर..

8 टेलीफोन/मोबाइल नम्बर.............................. ई-मेल..............................

9 आवेदक की शैक्षिक योगयता

क्रम सं0	शैक्षिक योग्यता	चयनित विषय	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक/कुल अंक	प्रतिशत
01					
02					

(संगत अंक पत्र एव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे। स्नातक एवं उससे उच्चतर स्तर पर चयनित विषय का उल्लेख करना अनिवार्य है।)

समाज सेवा का अनुभव (यदि कोई हो)..
(संगत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे।)

पारिवारिक कांउसलिंग का अनुभव(यदि कोई हो)..
(संगत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे।)

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर
पूरा नाम
पता
दिनांक
स्थान